राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांक प.13(51)का./क–1/गो.प्र./2008 जयपुर दिनांक 15 MAR 2021

–: परिपत्र :–

राज्य सेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने से सम्बन्धित अनुदेश 2008 दिनांक 05.06.2008 जारी किया हुआ है, लेकिन प्रतिवेदित अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने एवं प्रतिवेदक/समीक्षक/ स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ति/टिप्पणी करते समय कुछ खामियां पाई गई है। जिनको दृष्टिगत रखते हुये निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. राज्य सेवकों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र भरते समय प्रतिवेदन के भाग–I में बिन्दु संख्या 5 एवं 6 को भरते समय प्रतिवेदित अधिकारी उनको प्राप्त परिवेदनाओं (यदि कोई हो) के निस्तारण से सम्बन्धित संक्षिप्त उल्लेख करेगें साथ ही समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी भी अपनी ग्रेडिंग/टिप्पणी में अधिकारी के द्वारा परिवेदना निस्तारण में निष्पादन (Performance) को भी ध्यान में रखते हुये अंकित करेंगें।

2. यह भी देखने में आया है कि अधिकारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत करते समय एवं टिप्पणी/ग्रेडिंग अंकित करते समय अपने नाम एवं पदनाम की मोहर अंकित नहीं करते है। अतः प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत करते समय एवं टिप्पणी/ग्रेडिंग अंकित करते समय अपने नाम एवं पदनाम की मोहर अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

15/3/21
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव